

# बेरोजगारी संबंधी लाभों के लिए आवेदन करना

**Local 8 द्वारा COVID-19 के प्रकोप के कारण कम घंटे कार्य करने वाले या छंटनी का सामना कर रहे सदस्यों को दृढ़ता से बेरोजगारी बीमा संबंधी लाभ के लिए आवेदन करने की सलाह देता है।**

वह सदस्य जिन्हें आइसोलेट या क्वारेन्टाइन करने हेतु कहा गया है, वे लोग जो घर पर हैं और फ्लू जैसे लक्षणों से पीड़ित हैं, वे लोग जो स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, या वे लोग जोकि परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल कर रहे हैं, भी लाभ हेतु पात्र हो सकते हैं।

राज्य रोजगार विभाग ने अन्य परिस्थितियों को रेखांकित करते हुए, जहां कर्मचारी COVID-19-संबंधित कारणों के लिए बेरोजगारी संबंधी लाभों हेतु पात्र हो सकता है, एक सहायक चार्ट प्रकाशित किया है: [लिंक](#)।

**यदि आप मानते हैं कि आप बेरोजगारी संबंधी लाभ के लिए पात्र हैं, तो आपको फोन द्वारा अपना आवेदन करना होगा।** ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम क्रैश होने और एप्लिकेशन डाटा के नुकसान की संभावना है।

अपना दावा दायर करने से पहले, राज्य की तरफ से आपको सुझाव दिया जाता है कि आप निम्नलिखित जानकारियां उपलब्ध रखें :

- ▶ आपका सोशल सिव्योरिटी नंबर।
- ▶ पिछले 18 महीनों की आपकी वर्क हिस्ट्री, जिसमें रोजगार संबंधी तारीखें, आपके नियोक्ताओं के व्यवसाय का नाम, पता और फोन नंबर शामिल हैं। (यदि आपने किसी फेडरल (गैर-सैन्य) नियोक्ता के लिए काम किया है, तो आपको इससे संबंधित जानकारी SF-8 या SF-50 पर मिल सकती है।)
- ▶ प्रत्येक नियोक्ता द्वारा आपको प्राप्त वेतन और कुल आय।
- ▶ यदि आप संयुक्त राज्य के नागरिक नहीं हैं, तो आपको अपने एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर और डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी।
- ▶ फोन नंबर जिस पर आपसे सामान्य व्यावसायिक घंटों (प्रातः 8:00 बजे से - सायं 5:00 बजे) के दौरान बात की जा सके।

आपको, PTO या बीमारी के दिनों या किसी अन्य छुट्टी वाले दिनों को लिखित प्रमाण रूप में रखना आवश्यक है। हालांकि, आपको PTO या बीमारी के दिनों या किसी अन्य छुट्टी वाले दिनों के एकमुश्त भुगतान का दावा करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि आप डायरेक्ट डिपॉजिट के माध्यम से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके पास अपने बैंक अकाउंट की जानकारी मौजूद होनी चाहिए।

जब आप कॉल करते हैं, तो हम अनुशंसा करते हैं कि आप **लाइव एजेंट के साथ बात करने** का विकल्प चुनें। प्रतीक्षा समय अधिक भी हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि यह प्रतीक्षा किये जाने लायक है और इससे यह सुनिश्चित करने कि आपका आवेदन सही है, में मदद मिलेगी, ताकि इसे जल्दी से अनुमोदित किया जा सके।

**पूछें कि क्या आप पर “अस्थायी बेरोजगार” के रूप में विचार किया जा सकता है।** यदि आप योग्य पाए जाते हैं, तो आपको काम की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। आप 4 सप्ताह से अधिक समय तक अस्थायी रूप से बेरोजगार नहीं रह सकते हैं।

यदि आपसे COVID-19 के कारण कार्य करवाना बंद कर दिया गया है, तो आपको काम की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होगी।

**अपना दावे का आवेदन करें।** फोन द्वारा **1-877-FILE4UI (1-877-345-3484)** पर। या, ऑनलाइन **क्रेम साइट पर जाएं** और "फाइल योर न्यू क्रेम" पर क्लिक करें। रायि के वीडियो गाइड [यहां](#) उपलब्ध है।

अपने दावे का आवेदन करने के बाद भी आपको लाभों के लिए साप्ताहिक दावे प्रस्तुत करने होंगे। ऑनलाइन क्लेम साइट पर साप्ताहिक फाइल करें या **1-800-982-8920** पर कॉल करें।

दावा दायर करने के बाद राज्य से संचार के लिए नियमित रूप से अपने **मेल की जांच करना** सुनिश्चित करें।

**UNITEHERE!**  
**LOCAL 8**  
Hospitality Union of the Northwest